न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 22/2022 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2022/60

उनवान

1. रामअवतार पुत्र मूसे जाति नाई निवासी माकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र भवूती जाति नाई निवासी माकरा तहसील जिला धौलपुर।
2. रामवीर पुत्र पुन्ना जाति नाई निवासी माकरा तहसील जिला धौलपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय धौलपुर।
..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ दि0 11.11.2020 मि.नं. 74/17 उनवानी छोटी बनाम रामभरोसी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दिनेश कुमार गौड उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री मोहन सिंह बघेल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–15.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार हैं। परन्तु विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण पक्षकारान में आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कर विवादित आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि अपीलाधीन निर्णय से पूर्व ही प्रकरण में दिनांक 27.01.2019 को वादी छोटी वेवा मूसे का निधन स्वभाविक रूप से हो गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया कायम मुकाम किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अलावा विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर, पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं एवं ना ही तहसीलदार द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस ही जारी किया गया है। जब छोटी का निधन दिनांक 27.01.2019 को हो चुका था तो दिनांक 26.07.2019 को हस्ताक्षर करने से कैसे मना कर दिया। इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ना तो मौके पर गये एवं ना ही उन्होंने पक्षकारो को विभाजन प्रस्ताव तलव करने हेतु सूचित ही किया एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के विभाजन नियमो 18 से 21 की ही पालना की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं मौके पर जाकर तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गयी है। परन्तु दौराने बहस प्रकरण में छोटी की मृत्यु बाबत् कोई तर्क प्रस्तुत ना करते हुये, प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में मौन स्वीकृति प्रस्तुत की गयी।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2020 को पारित हुआ है। हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि छोटी की मृत्यु दौराने दावा दिनांक 27.01.2019 को हो चुकी थी। विभाजन प्रस्तावो में

भू प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मृतक छोटी को भी हिस्सा दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश स्पष्टतः मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुआ है, जिसे किसी भी दृष्टि से विधि अनुरूप नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट इस विन्दु पर ही आंशिक स्वीकार योग्य रहती हैं। परन्तु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर तहसीलदार उपस्थित नहीं थे। चूंकि विभाजन प्रस्तावो में पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि " उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के आदेश दिनांक 06.02.2019 व आदेश तहसीलदार सैपऊ दिनांक 19.02.2019 की अनुपालना में प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 26.07.2019 को मौके पर पहुँचा " इसके अलावा उक्त विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर हो रहे हैं वह भी दिनांक 26.07.2019 के ना होकर दिनांक 06.09.2019 के अंकित हैं। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं हुये। उपरोक्त से अतिरिक्त उक्त विभाजन प्रस्तावो पर प्रतिवादी रामवीर के हस्ताक्षरो के अलावा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करना अंकित है। परन्तु पटवारी हल्का ने विभाजन प्रस्ताव में यह कहीं अंकित नहीं किया कि मौके पर कौन–कौन वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित थे एवं किन– किन पक्षकारो ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में छोटी का दिहान्त पूर्व में ही हो चुका था तो वह हस्ताक्षर करने से कैसे इंकार कर सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा भी कोई तामील शुदा नोटिस/सम्मन नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारो को सूचना दी गयी हो एवं वह बावजूद सूचना मौके पर उपस्थित नहीं हुये हों। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधि अनुसार नहीं मानते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई का मौका देते हुये, विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2020 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, एवं तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कराते हुये, एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 11.03.2024 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर